पत्र संख्या–7/भा॰स॰प॰–17–05/2005 (खंड) 6105,

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
सभी स्वायत्त संस्था/सभी लोक उपक्रम/निगम/निकाय,
सभी निर्बंधित गैर सरकारी संस्था (राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त)
झारखंड ।

रांची, दिनांक–14 नवम्बर, 2006

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के निमित्त ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला, प्रमंडल, मुख्यालय, सचिवालय और स्वायत्त या सरकारी/गैर सरकारी संस्थओं में सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नामित नहीं किया जाना है । मात्र अनुमंडल स्तर पर ही सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को नामित किया जाना है ।

अतएव अनुरोध है कि अनुमंडल स्तर को छोड़कर अपने यहां नामित सहायक लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित आदेश/अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करते हुए, लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार के मनोनयन से संबंधित अद्यतन सूचना झारखंड राज्य सूचना आयोग तथा इस विभाग को भी अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/भा॰स॰प॰–17–05/2005 (खंड) ....6106..../ रांची, दिनांक 14 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि– मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची को उनके पत्रांक–145 दिनांक–05.10.2006 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।